"उत्तराखण्ड मार्ग अनुरक्षण नीति–2015"

1. **पृष्ठभूमि :**

(1) **प्रदेश में मोटर मार्गों की महत्ता एवं स्थापित विशाल रोड़ नेटवर्क :**

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा देहरादून के कुछ मैदानी क्षेत्र को छोड़कर शेष समस्त भूभाग पर्वतीय एवं दुर्गम है। रेल एवं हवाई यातायात की सुविधा मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित होने के कारण सम्पूर्ण प्रदेश के अन्तर्गत यातायात का मुख्य साधन मोटर मार्ग ही हैं। राज्य के लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों/स्थानीय निकायों की मार्ग निर्माण योजनाओं के साथ–साथ 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2014 तक 37491 किमी. लम्बाई में मोटर मार्गों का एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। दिनांक 31.03.2014 तक निर्मित मोटर मार्गों को निम्नवत् तीन सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :—

क्र.सं.	श्रेणी	लम्बाई
1.	राष्ट्रीय राज मार्ग	1,376.00 किमी.
2.	राज्य मार्ग	3,788.00 किमी.
3.	अन्य मार्ग	32,327.00 किमी.
	योग	37491.00 किमी.

(2) **मोटर मार्गों का स्वरूप तथा उनके अनुरक्षण की वर्तमान स्थिति :**

उक्त प्रस्तर–(1) में यथा उल्लिखित निर्मित 37,491 कि.मी. मोटर मार्गों में से 23,614 कि.मी. मोटर मार्ग का स्वरूप पक्का (डामरीकृत) है, 1159 कि.मी. मार्ग Water Bound Macadum (WBM) तक निर्मित है तथा 12,718 कि.मी. मार्ग अभी भी कच्चा है। इन तीनों श्रेणियों के मार्गों के अनुरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.3.2014 तक की स्थिति के आधार पर कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार 23,614 कि.मी. पक्का (डामरीकृत) मोटर मार्ग में से 5650 कि.मी. अच्छी (Good) स्थिति में है, 17922 कि.मी. मार्गों की दशा संतोषजनक (Fair) है तथा 4843 कि.मी. मार्गों की दशा खराब (Poor) है। दूसरी ओर, 13967 कि.मी. WBM/कच्चे मोटर मार्गों के सापेक्ष 4170 कि.मी. मार्ग की दशा अच्छी है, 5460 कि.मी. मार्ग की दशा संतोषजनक है तथा 4337 कि.मी. मार्ग की दशा खराब है।

2. **नीति की आवश्यकता एवं उद्देश्य :**

प्रस्तर–1 में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के मोटर मार्गों के सापेक्ष जहाँ एक ओर राष्ट्रीय राज मार्गों का नियंत्रण एवं प्रबन्धन उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राज मार्ग शाखा के पास है और राज्य मार्गों का नियंत्रण एवं प्रबन्धन उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में निहित है, वहीं दूसरी ओर अन्य मार्गों की श्रेणी में सम्मिलित मार्गों के सापेक्ष भिन्न–भिन्न लम्बाई में इन मार्गों का नियंत्रण एवं प्रबन्धन लोक निर्माण विभाग के साथ–साथ यू.आर.आर.डी.ए. (पी.एम.जी.एस.वाई.) एवं शहरी स्थानीय निकायों में निहित है। इन मोटर मार्गों की भिन्न–भिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं द्वारा रख–रखाव विषयक समय–समय पर निर्गत अपने विभागीय कार्यकारी आदेशों, दिशा–निर्देशों एवं कार्य विधि (Working Manual) द्वारा निर्दिष्ट मानकों एवं प्रकियाओं का अनुपालन किया जा रहा है। विभागों में प्रचलित मानकों एवं प्रकियाओं में एकरूपता न होने तथा मार्गों के रख–रखाव के विषय पर कोई समेकित सामान्य नीति प्रचलित न होने के कारण उत्तराखण्ड

राज्य के अन्तर्गत मोटर मार्गों के उक्त विशाल नेटवर्क के सुप्रबन्धन एवं उत्तम रख–रखाव का विषय दिन–प्रतिदिन महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील होता जा रहा है। अतः राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत मोटर मार्गों के बेहतर रख–रखाव एवं सुप्रबन्धन हेतु एक नीति निर्धारित करना चाहती है जो कि **"उत्तराखण्ड मार्ग अनुरक्षण नीति–2015" (Uttarakhand Road Maintenance Policy-2015)** कहलायेगी। इस नीति के मुख्यतः निम्न उद्देश्य हैं :–

(i) मोटर मार्गों के उचित रख–रखाव एवं सुप्रबन्धन के मानकों एवं प्रकियाओं में यथासंभव एकरूपता लाकर सम्बन्धित विभागों के मध्य बेहतर समन्वय एवं कार्य सम्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(ii) रख–रखाव की दृष्टि से उचित प्राथमिकता निर्धारण एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग/प्रबन्धन के माध्यम से मोटर मार्गों की क्षतियों को कम करते हुए उन्हें बाहरमासी यातायात हेतु सुलभ कराना।

(iii) मोटर मार्ग अनुरक्षण के तीनों अवयवों– 'सामान्य अनुरक्षण', 'मियादी अनुरक्षण, 'आपातकालीन अनुरक्षण' तथा 'विशेष मरम्मत', के मध्य उचित 'संतुलन स्थापित करते हुए समानुपातिक आधार पर कार्य कराना।

(iv) मोटर मार्गों के बेहतर रख–रखाव द्वारा मार्गों से यात्रा को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाना तथा वाहनों के संचालन व्यय में कमी लाना।

(v) मोटर मार्ग अनुरक्षण की तकनीक एवं प्रक्रियाओं में अभिनव, आधुनिक एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल प्रथाओं का अंगीकरण करते हुए अनुरक्षण के स्तर में सुधार लाना तथा अनुरक्षण कार्य में संलग्न श्रमशक्ति की क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि करना।

(vi) मोटर मार्गों के बेहतर अनुरक्षण एवं प्रबन्धन के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना तथा नगरीय सुविधाओं के विकास सहित व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना/सहयोग देना।

3 नीति के **विभिन्न अवयव :**

"उत्तराखण्ड मार्ग अनुरक्षण नीति–2015" के निम्न अवयव होंगे :–

(1) अनुरक्षण नीति के क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग का दायित्व :

मोटर मार्गों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों/संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय के साथ अनुरक्षण नीति का कियान्वयन कराने हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा। लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष के कार्यालय में एक मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी के अधीन प्लानिंग, बजटिंग एवं मॉनिटरिंग हेतु एक समर्पित इकाई (Dedicated Unit) जिसे 'प्लानिंग, बजटिंग एवं मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ' (PBM Cell) कहा जायेगा, का गठन किया जायेगा, जो प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष के सामान्य दिशा निर्देशन में कार्य करेगी।

(2) अनुरक्षण सम्बन्धी विस्तृत सामान्य दिशा–निर्देश/मानक निर्धारण प्रकिया तैयार कर निर्गत किया जाना :

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गठित की जाने वाली पी.बी.एम.सेल द्वारा मोटर मार्गों के अनुरक्षण से सम्बन्धित सभी विभागों के उपयोगार्थ "उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मार्गों के अनुरक्षण हेतु मानक निर्धारण प्रकिया" (Standard Operating Procedures for Maintenance of Road Network in Uttarakhand) नाम से एक एस.ओ.पी. तैयार करते हुए उसे लागू किया जायेगा। इस एस.ओ.पी. के अन्तर्गत अनुरक्षण कार्यों के उद्देश्य एवं अपेक्षाओं, मार्गों की वस्तु स्थिति (Inventory), दशा सर्वेक्षण, वार्षिक अनुरक्षण योजना का निर्माण, अनुरक्षण की तकनीक एवं प्रकियाओं, अनुरक्षण अनुबन्ध प्रबन्धन एवं गुणवत्ता आश्वासन, संसाधनों का बेहतर उपयोग तथा अनुरक्षण कार्य में संलग्न कार्मिकों के दायित्व आदि बिन्दुओं का यथोचित समावेश किया जायेगा।